न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 157/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तिलोकराम पुत्र उमाराम जाति माली निवासी रिंयाबडी तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।		1पार्वती देवी पत्नी सांवताराम जाति बावरी निवासी रिंयाबडी 2मेघाराम पुत्र उमाराम जाति माली निवासी रिंयाबडी। 3पुखराज पुत्र उमाराम जाति माली निवासी रिंयाबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री डूंगरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री करण सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 13.09.19

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार, रिंयाबडी द्वारा प्रकरण सं. 01/2012 अनवान पार्वती बनाम मेघाराम में पारित निर्णय दिनांक 05.06.18 से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.06.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट की अपील दिनांक 28.06.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री करण सिंह अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार रिंयाबडी के प्रकरण सं. 1/12 पार्वती बनाम मेघाराम मे निर्णय दिनांक 05.06.18 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस मौजा रिंयाबडी तथा ग्राम रियाबडी की खतोनी संवत 2070–73 की फोटोप्रति पेश की तथा रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रिंयाबडी के प्रकरण सं. 78/12 मेघाराम बनाम दुर्गाराम मे पारित निर्णय दिनांक 5.3.18 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व ढंग पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–प्रथम तो अपीलाधीन भूमि खसरा नं. 923, 924 के साबिका खसरा नं. 1149 अपीलांट व दीगर फोरमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के पूर्वजो के वक्त के कब्जे काश्त खातेदारी के खेत होकर रहते चले आये है तथा पूर्व की भांति आज दिन तक दोनो खसरे पुरानी सीव माठ के अंदर कायम होकर रहते चले आ रहे है और इसी भांति अपीलांट का व फोरमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मगर हाल सेटलमेंट मे सेटलमेंट के कर्मचारियो व अधिकारियो के द्वारा बिना किसी क्षेत्राधिकार व अधिकार के नये खसरा नं. कायम करते समय रकबा कम दर्ज करते हुए पूर्व के बेचानकर्ता खातेदार दुर्गा, डूंगा, नेमीचंद पिसरान शेरा इत्यादि के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया मगर उनका कब्जा काश्त इन वादग्रस्त खेतो के किसी भू भाग पर नही रहा। अपीलांट को जब इस तथ्य की जानकारी हुई कि उनका रकबा कम दर्ज है तो अपीलांट व दीगर फोरमल रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने घोषणा खातेदारी आदि का नियमित वाद न्यायालय सहायक कलक्टर रियाबडी के न्यायालय मे किया जो नियमित वाद विचाराधीन है तथा अपीलाधीन प्रकरण समरी ट्रायल मामला है इसलिये प्रथम तो नियमित वाद के विचाराधीन रहते हुए समरी ट्रायल मामले को विचारण मे नही लिया जाना चाहिये था। चूंकि अपीलाधीन भूमि को लेकर अपीलांट का नियमित वाद घोषणा खातेदारी आदि का विचाराधीन है तथा वादग्रस्त भूमि व पक्षकार समान है तथा समान भूमि व समान पक्षकारान मे विवाद सीधे रूप से एवं मुख्य रूप से एक समान है इन परिस्थितियो मे जब स्वीकृत रूप से दोनो मुकदमो अर्थात सहायक

अपर कलक्टर, नागौर

कलक्टर रियाबडी के न्यायालय मे चली धारा 183 बी की कार्यवाही मे दोनो मुकदमो मे सभी मुख्य विवादित बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय को स्वतः ही सहायक कलक्टर के कोर्ट मे विचाराधीन वाद के निर्णय तक कार्यवाही धारा 183 बी राज. टिनेन्सी एक्ट के आवेदन को स्थगित किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकृत स्थिति थी कि नियमित वाद चल रहा है ऐसी स्थिति मे अपीलांटान के पूर्वजो के वक्त के साबिका खातेदारी व कब्जे को देखते हुए मामले को मियाद पर भी नही देखते हुए व कब्जा नियमित रूप से अपीलांट का न मानने मे त्रुटि की है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये रेस्पोडेन्ट सं. 1 के प्रार्थना पत्र मे इस तथ्य का कोई उल्लेख नही है कि अपीलांट व दीगर फोरमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अवैधानिक तरीके से उसकी कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि पर अतिचार किया है और न ही प्रार्थिया / रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपने किसी दस्तावेजी साक्ष्य से या मौखिक साक्ष्य से कोई कब्जा साबित नही किया है न उसकी कानूनी रूप से वैध खातेदारी की भूमि होना साबित किया है तथा अपीलांट व दीगर रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लेकर कोई जांच नही की तथा साक्ष्य किये बिना मामले का गलत तरीके से निपटारा कर दिया। दोनो पक्षो की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य लिये बिना मामले को गुणावगुण पर देखे बिना तकनीकी औपचारिकता कर फैसला किया गया है। जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने एक मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 के प्रार्थना पत्र अपीलांट, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के उतर के आधार पर बेदखली का आदेश दिया है जो कतई कानूनी रूप से न्यायोचित नही है न ही ऐसा आदेश दिया जा सकता है। चूंकि नियमित वाद चल रहा है नियमित वाद मे ही पक्षकारो के हितो का निर्धारण होगा और मामले को रेस्पोडेन्ट सं.1 ने किसी तरह से प्रमाणित नही किया है और बिना साक्ष्य लिये मामले मे बेदखली का आदेश नही दिया जा सकता है जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलांट ने साबिका सेटलमेंट मे वादग्रस्त भूमि अपनी खातेदारी की होना व नियमित वाद घोषणा खातेदारी का विचाराधीन होने का कथन किया है तो ऐसे प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मय साबिका सेटलमेंट व हाल सेटलमेंट के व हाल लट्ठा ट्रेस के तीनो नक्शो का मिलान करते हुए मौके पर पेमाईश करवाते, जिससे असलियत व वास्तविक तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होते मगर ऐसा नही कर न्यायालय ने तथ्य और कानून की भारी भूल की है।

{2}(VI)–कभी भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 के बेचानकर्ता खातेदारान दुर्गाराम, डूंगाराम, नेमीचंद पिसरान शेरा व तीजणी बेवा शेरा रेगर निवासी रियाबडी के वादग्रस्त भूमि कब्जे मे नही थी, उनके नाम से यह भूमि सेटलमेंट की गलती से दर्ज हुई। गांव मे पार्टीबाजी की वजह से दुर्गाराम, डूंगाराम, नेमीचंद व तीजणी आदि ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 से कब्जा छुडाने की नियत से एक नुमाईशी बेचान रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम करवाया और नामान्तरकरण दर्ज करवाया। इस तरह की कागजी फोरमल्टी से वास्तविक कब्जा हस्तान्तरण नही किया जा सकता है और वास्तव मे दुर्गाराम आदि का कोई कब्जा नही था, ऐसी स्थिति मे कब्जा हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने खसरा नं. 923 रकबा 0.43 हैक्ट. का बेचान मेथकी पत्नी कैलाशनाथ कौम कालबेलिया साकिन कालबेलियो की ढाणी जायवास के नाम पर कर दिया तथा इस प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि पर मेथकी ने भी आज तक कोई कब्जा नही लिया है न ही मेथकी को प्रार्थना पत्र धारा 183 बी मे पक्षकार बनाया गया न ही निर्णय करते समय ही उसे पक्षकार बनाया गया। ऐसी सूरत मे रेकर्डेड खातेदार को बिना सुने किसी प्रकार का आदेश जारी नही किया जा सकता है। जिससे भी आदेश जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(VII)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलांट व फोरमल रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के मध्य सीमा विवाद होने का कथन किया है, सीमा विवाद का मामला धारा 128 आरएलआर के तहत निर्णीत किया जा सकता है न कि धारा 183 बी राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत। इसलिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 के कथन अनुसार मामला धारा 183 बी राज टिनेन्सी एक्ट का है भी नही, जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने मे कानूनी गलती की है। जिससे आदेश जैर अपील इललिगल व ऐररनेस होने से निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VIII)–रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बरवक्त पेश करने अपील गांव से बाहर होने से उन्हे फोरमल पक्षकार बनाया गया है। उनके विरूद्व कोई रीलिफ नही चाही गयी है।

{3}–रेस्पोडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि –

{3}(I)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है। जिसमे हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नही है।

{3}(II)–विवादित खेत खसरा नं. 923 व 924 ग्राम रिंयाबडी तहसील की खातेदारी एक मात्र रेस्पोडेन्ट पार्वती के नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। इसके विपरीत अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा किया हुआ है। अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर रिंयाबडी मे केवल मात्र नियमित वाद पेश कर देने से अपीलांट जबरन कब्जा कायम रखने के अधिकारी नही होते है। न ही नियमित वाद पेश कर देने मात्र से 183 (बी) की कार्यवाही स्थगित की जा सकती है। अपीलांट उक्त खेत मे बतौर अतिक्रमी के जबरन कब्जा बनाये हुए है। जिसके चलते रेस्पोडेन्ट सं. 1 अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग व उपभोग नही कर पा रही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है।

{3}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो का पूर्ण अवलोकन करने के पश्चात तथा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार विधि सम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट अपनी अपील मे यह साबित करने मे पूर्णतया असफल रहे है कि उनका उक्त खेत खसरा नं. 923 व 924 मे किस प्रकार से विधिक अधिकार है अथवा वो किस हैसियत से उक्त खेताय पर काबिज है। इस कारण भी अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

{3}(IV)–अपीलांट द्वारा केवल मात्र इन खेताय बाबत नियमित वाद पेश कर दिये जाने मात्र से कार्यवाही स्थगित नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय को साबिका व हाल सेटलमेंट के नक्शो के मिलान करने की कतेई आवश्यकता नही थी क्योकि विवादित खेताय पर अपीलांट का अतिक्रमण होना साबित है। जो परोक्ष व अपरोक्ष रूप से स्वयं अपीलांट अपने जवाब मे स्वीकार करते है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील पूर्णतया विधि सम्मत है। अपील अपीलांट निरस्तनीय है।

{3}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने खसरा नं. 923 की भूमि मेथकी पत्नी कैलाशनाथ को विक्रय कर दी है किन्तु उक्त विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 183 (बी) का आवेदन प्रस्तुत करने के चार वर्ष पश्चात किया गया है। आवेदन पेश करते समय रेस्पोडेन्ट नं. 1 ही विवादित खेताय की खातेदार काश्तकार थी। ऐसीह स्थिति मे मेथकी को उक्त आवेदन मे पक्षकार बनाया जाना कतई आवश्यक नही था, न ही ऐसी आपत्ति लेने का अपीलांट को विधिक अधिकार है क्योकि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उक्त मेथकी को किसी प्रकार की परेशानी होती तो वह स्वयं अपील पेश करने मे सक्षम है। किन्तु उक्त तथ्य का फायदा अपीलांट जो कि बतौर अतिक्रमी इस विवादित खसरे पर काबिज है उनको नही दिया जा सकता। ऐसी स्थिति मे भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्तनीय है।

{3}(VI)–प्रकरण किसी भी रूप मे सीमा विवाद का नही है। बल्कि अपीलांट जबरन व गलत रूप से इस प्रकरण को सीमा विवाद बताकर अपना अवैध कब्जा कायम रखने पर आमादा है। जिसके चलते अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियमित वाद भी पेश किया है। जिसके साथ धारा 212 आरटीए का आवेदन पेश किया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट ने विवादित खेताय पर नाजायज कब्जा कर रखा है एवं अपीलांट का आवेदन उपखण्ड अधिकारी रियाबडी द्वारा दिनांक 5.3.18 को निरस्त किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित भूमि पर वास्तविक रूप से बतौर अतिक्रमी के अवैध रूप से कब्जा कायम किये हुए है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 चूंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा कायम रखने का कोई विधिक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}--उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को पर्याप्त रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना अभिलेख से साबित है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा नियमित न्यायालय में घोषणा खातेदारी आदि का दावा प्रस्तुत किया हुआ होना बताया गया है। जहां साक्ष्य, सबूत के आधार पर पक्षकारों के स्वामित्व का निर्धारण होगा। प्रस्तुत मामले में आराजी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट के नाम होना रिकार्ड से साबित है तथा रेस्पोडेन्ट नं. 1 अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। इस बिन्दु को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। धारा 183बी के तहत समरी ट्रायल की कार्यवाही होती है। जहां 183बी की कार्यवाही दायर करने के लिये प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना व अनुसूचित जाति की खातेदारी में होना जरूरी होता है। ऐसी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के प्रावधान है। इस प्रकरण में यह बखूबी साबित है कि निर्विवाद रूप से रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, जिनकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति काबिज है। जिन्हें आराजी भूमि से बेदखल किये जाने को लेकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आदेश जैर अपील विधिसम्मत पारित किये जाने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}--उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}--निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर